

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम स.उ.डोरे के खाता सं. 253, 226 खसरा नं. में आवेदन

पत्र अनुसार सोदान पुत्र रामधन, सोदान पुत्र रामधन के स्थान पर सोदान पुत्र रामधन शब्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना

सुनिश्चत करें। आदेश केम्प भारमणि शेवा शिवर ग्राम पंचायत स.उ.डोरे में दिनांक 25/09/25

को मजमेआम में सुनाया गया।



हपखण्ड अधिकारी
फागी